न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कामां जिला डीग

इजलाश श्री **सुनील कुमार झिंगोनिया** आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी कामां

मुकदमा **नं0 06/2011**

1–हीरालाल पुत्र मक्खन लाल जाति जाटव निवासी ग्राम उदाका तहसील कामां

2–रामा पुत्री मक्खनलाल जाति जाटव निवासी ग्राम उदाका तहसील कामां नाबलिग वविलायत हीरालाल पुत्र मक्खनलाल जाति जाटव निवासी ग्राम उदाका तहसील कामां जिला डीग भाई खुद

वादीगण

बनाम

1–श्रीमती श्यामवती पत्नी चेतराम (तथाकथित मक्खनलाल) जाति जाटव

2–रोहित पुत्र श्यामवती पत्नी चेतराम (तथाकथित मक्खनलाल)जाति जाटव दर्ज रिकार्ड नाबालिग वाविलायत श्रीमती श्यामवती पत्नी चेतराम जाति जाटव निवासीयान ग्राम अचापुरा साहपुरा रोड बल्लभगढ तहसील बल्लभगढ जिला फरीदाबाद (हरियाणा) माता खुद

3–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कामां

4–उपपंजीयक तहसील कामां

प्रतिवादीगण

अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राज0 काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित अधिवक्ता

1–श्री बृजलाल शर्मा अधिवक्ता वादीगण।

निर्णय

दिनांक 06.05.2024

वादीगण अधिवक्ता ने दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 188 आर0टी0एक्ट के तहत पेश कर निवेदन किया कि आराजी खसरा नम्बर 4354 /0.40 वाके ग्राम कामां नं0 2 तहसील कामां में स्थित है । आराजी मुतदाविया की लैण्ड होल्डर राजस्थान सरकार है जिसके तहसीलदार कामां प्रतिनिधि होने के कारण उन्हें बतौर असल प्रतिवादी पक्षकार मुकदमा बनाया गया है जो राजकीय वर्ग के कर्मचारी है जिसके खिलाफ दावा 80 सी0पी0सी0 का नोटिस दिया जाना आवश्यक है, परन्तु मामला अर्जेन्टनेचर का है क्यों कि प्रतिवादी नं0 1 व 2 ने प्रतिवादी सं0 3 व उसके अधीनस्थ कर्मचारियों से मिली भगत करते हुए मक्खन लाल पुत्र भदई पिता वादीगण के गुजर जाने के बाद अपने आपको कतई गलत रूप से तथाकथित पत्नी व पुत्र बताकर अपने नाम इन्द्राज करा लिया है जिसके आधार प्रतिवादी नं0 1 व 2 व प्रतिवादी संख्या 3 के द्वारा वादीगण को आराजी मुतदाविया से बेदखल करने पर उतारू है अगर दावा दायरी से पूर्व प्रतिवादी संख्या 3 को नोटिस दिया जाता है तो वादीगण का दावा पेश करने का मकसद समाप्त हो जावेगा । और वादीगण न्याय पाने से वंचित हो जायेगें इसलिए उनके खिलाफ मुताबिक कानून न्यायालय श्रीमान जी से पृथक से इजाजत प्राप्त कर दावा पेश किया जा रहा है ।

आराजी खसरा नम्बर 4354/0.40 हैक्टर वाके कस्बा कामां नं0 2 तहसील कामां पूर्व में पातीराम पुत्र रामचन्द जाति जाटव निवासी उदाका तहसील कामा के कब्जेकाश्त व खातेदारी की आराजी थी जिसको पिता वादीगण मक्खनलाल ने दिनांक 31.1.2002 को मुबलिग 135000 रू में जरिये राजिस्टर्ड बयनामा खरीद कर लिया था जिसके आधार पर

क्खनलाल पुत्र भदई अपनी पत्नी मायादेवी पुत्र क्रमशः हीरालाल, इन्द्रजीत व पुत्रीयान व त्रीयान क्रमशः कृष्णा, लक्ष्मी, ओमवती एंव रामा के साथ वहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा था । मक्खन लाल के जीवनकाल में ही पत्नी माया देवी की मृत्यु हो गयी और पिता वादीगण मक्खनलाल का भी दिनांक 20.1.2003 को देहान्त हो गया । जो कि अपने पीछे वादीगण व पुत्रीयां कृष्णा, लक्ष्मी, व ओमवती एवं इन्द्रजीत पुत्र छोड गया । जिनमें से पुत्र इन्द्रजीत की भी दिनांक 16.12.2009 को लावल्द बिला औरत मृत्यु हो गयी । पिता वादीगण मक्खनलाल अपने परिवार के साथ मकान नम्बर 853 भूड कालोनी फरीदाबाद में रहता था जिसके तहत हरियाणा सरकार द्वारा मक्खनलाल का राशनकार्ड जारी किया गया । जिसके आधार पर मक्खनलाल के परिवार का सजरा माया पत्नि (मृतक) हीरालाल पुत्र कृष्णा, पुत्री,लक्ष्मी पुत्री, इन्द्रजीत पुत्र (मृतक) रामा पुत्री हैं । ओमवती के पुत्री की शादी परिवार कार्ड बनने से पूर्व हो गयी थी । आराजी मुतदाविया पर पिता वादीगण अपने जीवनकाल तक वहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा था और उसके गुजरजाने के बाद उसके जीवत वारिसान वादीगण व पुत्रीया कृष्णा, लक्ष्मी, ओमवती, वाहिस्सा बराबर वहैसियत वारिसान काबिज जायदाद होकर काबिज हुए एवं वादीगण के खास बहिनों क्रमशः कृष्णा, लक्ष्मी, एवं ओमवती द्वारा अपने पिता से मिले विरासत अधिकारों को जरिये रजिर्स्टड हक त्याग द्वारा वादी संख्या 1 के पक्ष में सम्पूर्ण कर देने के पश्चात वादीगण आराजी मुतदाविया पर वहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है तथा मौके पर इस वक्त भी आराजी मुतदाविया पर वादीगण का ही कब्जा है । वादीगण द्वारा अपने पिता मक्खनलाल के गुजर जाने के पश्चात राजस्व रिकार्ड में अपने नाम विरासतन कार्यवाही कराने हेतु अपने पिता एवं माता माया देवी व भाई इन्द्रजीत का मृत्यु प्रमाण पत्र एवं कृष्णा लक्ष्मी व ओमवती का रजिस्टर्ड हक त्याग प्रतिवादी संख्या 3 व उसके अधिनस्थ कर्मचारियों द्वारा बाला ही बाला बिना वादीगण को नोटिस जारी किया व सुनवाई का अवसर दिये प्रतिवादीगण से साज करते हुए दाखिल खारिज संख्या 4347 को दिनांक 1.6.10 को भरकर दिनांक 7.6.10 को ही फैसल कर राजस्व रिकार्ड में कतई गलत खिलाफ कानून मौका व कब्जा वादीगण के साथ प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 को मृतक मक्खनलाल की विधवा व पुत्र दर्ज कर दिया गया । उक्त गलत इन्द्राज का इल्म अब वादीगण को दिनांक 27.1.2011 को नकल जमाबन्दी मिलने पर हुआ । विधि वजह वादीगण दावा माध्यम से दाखिल नम्बर 4347 को निम्न प्रकार से निरस्त कर पाने का अधिकारी है :–

प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पक्ष में आदेश पारित करने से पूर्व वादीगण को सुनवाई का ना तो कोई नोटिस दिया गया और ना ही अपनी साक्ष्य पेश करने का अवसर दिया गया ।

प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा बिना ठोस जानकारी किये व बिना दस्तावेजी साक्ष्य लिए प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को मृतक मक्खनलाल का वारिस मानकर भरी भूल कर त्रूटी पूर्ण आदेश पारित कर खातेदार दर्ज किया है जो कि कतई गलत खिलाफ कानून मौका व कब्जा है जिसे वादीगण जरिये अदालत निरस्त कराकर आराजी मुतदाविया के 3/4 हिस्सा पर वादी संख्या 1 व 1/4 हिस्सा पर वादी संख्या 2 अपने आपको वहैसियत वारिसान खातेदार घोषित कराकर राजस्व रिकार्ड में भी वादी संख्या 1, 3/4 हिस्से का वादी संख्या 2, 1/4 हिस्से की खातेदारी पाने के अधिकारी है । प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 का आराजी मुतदाविया से और ना ही वादीगण व मृतक मक्खनलाल के परिवार से कभी कोई सम्बन्ध किसी किस्म का नहीं रहा है । प्रतिवादी सं0 1 बहुत ही चालाक प्रवृत्ति की औरत है पहले यह हरफूल नामक व्यक्ति की पत्नी थी सबूत में निर्वाचन आयेाग के पहचान पत्र की फोटो प्रति पेश है इसके पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 ग्राम अंचापुरा, साहूपुरा रोड बल्लभगढ में चेतराम की पत्नी बन गयी और आज प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 चेतराम की पत्नी व पुत्र है । सबूत में फोटो प्रति पास बुक बैक ऑफ इण्डिया के खाता नम्बर 14062जारी दिनांक 1.1.2001 के दर्ज इन्द्राज से साबित है

प्रतिवादी संख्या 1 चेतराम की पत्नी प्रतिवादी संख्या 2 उसका पुत्र है प्रतिवादी संख्या 1 भी भी मृतक मक्खनलाल की पत्नी नहीं रही , परन्तु उसने अपने आपको गलतरूप से क्खनलाल की पत्नी बनकर राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दर्ज करा लिया है । उक्त गलत न्दाज का नाजायज फायदा उठाने की गरज से प्रतिवादीगण अब अ ाराजी मुतदाविया को हनवय मुन्तकिल कर राजस्व रिकार्ड व मौके की स्थिति में परिवर्तन कराने की फिराक में है जिसकी बावत प्रतिवादीगण ने दिनांक 26.1.2011 को ऐलानिया धमकी दी है । यदि प्रतिवादीगण अपने इस इरादे में कामयाब हो गये तो इससे वादीगण को ऐसी अपूर्णीय क्षति होगी । विदि बजह वादीगण प्रतिवादीगण को जरिये डिग्री हुक्म इम्तनाई दवामी से पाबन्द करा पाने का अधिकारी है ।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया । प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया । प्रतिवादीगण की ओर अधिवक्ता उपस्थित होकर जबाव पेश किया कि वादीगण के पिता मक्खनलाल की पूर्व पत्नि मायादेवी की मृत्यु जनू 1998 में हो गयी और प्रतिवादी संख्या 1 के पूर्व पति हरपाल की मृत्यु 1998 से पूर्व हो गयी थी । इसलिए मक्खनलाल ने प्रतिवादी नम्बर 1 से सन् 1998 में पडने वाली दीपावली के बाद सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार शादी कर ली और तमी से प्रतिवादी संख्या 1 मक्खनलाल पिता वादीगण के साथ उसकी मृत्यु पर्यनत पत्नी के रूप में रह रही और अब भी विधिक पत्नी है । मक्खनलाल के नुत्फे से दिनांक 22.6. 2000 को प्रतिवादी संख्या 2 पैदा हुआ जो अब कक्षा पांच में पढ रहा है । इस स्कूल का प्रमाण पत्र फोटो प्रति पेश है । इस प्रकार प्रतिवादी नम्बर 2 पुत्र है और आराजी मुतदाविया पर वहैसियत वारिस काबिज है । वादीगण ने यह दावा महज हम प्रतिवादीगण को परेशान करने एवं हको को मारने के उद्देश्य से पेश किया है तथा वादीगण ने अपने निवास उदाका गलत दर्ज किया है जबकि वे अपने पिता के समय से ही भूड कालोनी फरीदाबाद में रह रहे है । अतः जबाव दावा पेश कर प्रार्थना है कि दावा वादी मय खरचा खारिज फरमाया जावे ।

दावा एवं जबाव दावा के आधार पर निम्न प्रकार से तनकीयात कायम की गयी :–

1– वादी नं01 आराजी मुतदाविया के 3/4 हिस्सा पर व वादी नं0 2, 1/4 हिस्सा पर अपने आपको वहैसियत वारिस मक्खनलाल वहैसियत खातेदार काश्तकार घोषित करा कर राजस्व रिकार्ड में अपने नाम इन्द्राज दर्ज करा पाने के अधिकारी है । वादीगण

2–प्रतिवादी नं0 1 व 2 ने मृतक मक्खनलाल की मृत्यु के पश्चात राजस्व रिकार्ड में जो इन्द्राज जरिये इन्तकाल नं0 4347 से विरासतन मक्खनलाल के आधार पर लिया है । उसे वादीगण जरिये अदालत निरस्त करा पाने के अधिकारी है । वादीगण

3–वादीगण प्रतिवादीगण को जरिये डिक्री हुक्म इम्तनाई दवामी से पाबन्द करा पाने के अधिकारी है । वादीगण

4–मु0श्यामवती प्रतिवादी चेतराम की पत्नी है । मक्खनलाल की नहीं है । वादीगण

5– प्रतिवादी नं0 1 सन् 1998 में पडने वाली दीपावली के बाद सामाजिक रीति रिवाज से मक्खनलाल से शादी करली थी । और पत्नी बन गयी जिससे प्रतिवादी नं0 2 पैदा हुआ था । प्रतिवादीगण

6 दादरसी

वादी ने अपने दावा को साबित करने के लिए नकल जमाबन्दी सं0 2074–2077 व नक्शा, नकल नामान्तकरण संख्या 4347कस्बा कामां नं0 2, नकल फोटो प्रति बयनामा दिनांक 31.1. 2002, नकल फोटो प्रति मृत्यु प्रमाण पत्र नगर निगम फरीदाबाद दिनांक 12.12.2003,नकल फोटो प्रति राशनकार्ड, नकल फोटो प्रति पहचान पत्र बार्ड नं02 फरीदाबाद, नकल शमशान रजिस्टर फरीदाबाद नकल फोर्टो पति राशनकार्ड हीरालाल वादी ,नकल फोटो प्रति हकत्याग

दिनांक 18.5.2000 नकल फोटो प्रति फैसला सिविल जज फरीदाबाद दिनांक 6.1.2005,पेश किये है ।

प्रतिवादीगण ने अपने जबाव को साबित करने के लिए कोई साक्ष्य व सबूत पेश नही किये । प्रतिवादीगण को साक्ष्य के लिए पर्याप्त समय देने के बाद भी साक्ष्य के पेश नहीं किये । तथा प्रतिवादीगण अधिवक्ता प्रकरण की पैरवी भी नहीं की ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया । तथा वादीगण अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सुनी गयी । वादीगण अधिवक्ता की तनकीबार बहस सुनी गयी जो निम्न प्रकार से है :–

1– वादी नं01 आराजी मुतदाविया के 3/4 हिस्सा पर व वादी नं0 2, 1/4 हिस्सा पर अपने आपको वहैसियत वारिस मक्खनलाल वहैसियत खातेदार काश्तकार घोषित करा कर राजस्व रिकार्ड में अपने नाम इन्द्राज दर्ज करा पाने के अधिकारी है । वादीगण

आराजी खसरा नम्बर 4354/0.40 हैक्टर वाके कस्बा कामां नं0 2 तहसील कामां पूर्व में पातीराम पुत्र रामचन्द जाति जाटव निवासी उदाका तहसील कामा के कब्जेकाश्त व खातेदारी की आराजी थी जिसको पिता वादीगण मक्खनलाल ने दिनांक 31.1.2002 को मुबलिग 135000 रू में जरिये राजिस्टर्ड बयनामा खरीद कर लिया था जिसके आधार पर मक्खनलाल पुत्र भदई अपनी पत्नी मायादेवी पुत्र क्रमशः हीरालाल, इन्द्रजीत व पुत्रीयान व पुत्रीयान क्रमशः कृष्णा, लक्ष्मी, ओमवती एंव रामा के साथ वहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा था । आराजी मुतदाविया पर पिता वादीगण अपने जीवनकाल तक वहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा था और उसके गुजरजाने के बाद उसके जीवत वारिसान वादीगण व पुत्रीया कृष्णा, लक्ष्मी, ओमवती, वाहिस्सा बराबर वहैसियत वारिसान काबिज जायदाद होकर काबिज हुए एवं वादीगण के खास बहिनों क्रमशः कृष्णा, लक्ष्मी, एवं ओमवती द्वारा अपने पिता से मिले विरासत अधिकारों को जरिये रजिर्स्टड हक त्याग द्वारा वादी संख्या 1 के पक्ष में सम्पूर्ण कर देने के पश्चात वादीगण आराजी मुतदाविया पर वहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है तथा मौके पर इस वक्त भी आराजी मुतदाविया पर वादीगण का ही कब्जा है । वादीगण द्वारा अपने पिता मक्खनलाल के गुजर जाने के पश्चात राजस्व रिकार्ड में अपने नाम विरासतन के आधार पर वादी नं0 1 3/4 हिस्सा व वादी नं0 2 1/4 हिस्सा पर अपने आपको राजस्व रिकार्ड में अपने नाम खातेदार दर्ज करा पाने का अधिकारी है । प्रतिवादीनं0 1 श्यामवती द्वारा वादी नं0 1 के पिता की पत्नि ना होकर चेतराम की पत्नि होने बावत वादीगण अधिवक्ता द्वारा नकल फोटो प्रति बैक आफॅ इण्डिया की पास बुक में श्यामवती को चेतराम की पत्नि बताया है । निर्वाचन पहचान पत्र में श्यामवती को हरपाल की पत्नि बताया है । राशनकार्ड मे मक्खनलाल की पत्नि माया बताया है न कि श्यामवती । हरियाणा सरकार द्वारा जारी राशनकार्ड संख्या 677 में मक्खनलाल की पत्नि माया ही बताया है । प्रतिवादीगण अधिवक्ता द्वारा प्रतिवादी न0 1 की पत्नि होने का कोई ठोस साक्ष्य पेश नही किया है ।

अतः तनकी नं0 1 वादीगण के पक्ष में साबित होती है ।

तनकी नं 2 :–प्रतिवादी नं0 1 व 2 ने मृतक मक्खनलाल की मृत्यु के पश्चात राजस्व रिकार्ड में जो इन्द्राज जरिये इन्तकाल नं0 4347 से विरासतन मक्खनलाल के आधार पर लिया है । उसे वादीगण जरिये अदालत निरस्त करा पाने के अधिकारी है ।

तनकी नं0 2 की बहस में वादीगण अधिवक्ता द्वारा बताया कि वादीगण द्वारा अपने पिता मक्खनलाल के गुजर जाने के पश्चात राजस्व रिकार्ड में अपने नाम विरासतन कार्यवाही कराने हेतु अपने पिता एवं माता माया देवी व भाई इन्द्रजीत का मृत्यु प्रमाण पत्र एवं कृष्णा लक्ष्मी व ओमवती का रजिस्टर्ड हक त्याग प्रतिवादी संख्या 3 व उसके अधिनस्थ कर्मचारियों द्वारा

दीगण को बिना नोटिस जारी किये व सुनवाई का अवसर दिये प्रतिवादीगण से साज करते
दाखिल खारिज संख्या 4347 को दिनांक 1.6.2010 को भरकर दिनांक 7.6.2010 को ही
सल कर राजस्व रिकार्ड में कतई गलत खिलाफ कानून मौका व कब्जा वादीगण के साथ
तिवादीगण संख्या 1 व 2 को मृतक मक्खनलाल की विधवा व पुत्र दर्ज कर दिया गया ।
तिवादीगण सं0 1 व 2 का आराजी मुतदाविया से और ना ही वादीगण व मृतक मक्खनलाल
परिवार से कभी कोई सम्बन्ध किसी किस्म का नहीं रहा है । प्रतिवादी नं0 1 चालाक
वृत्ति की औरत है पहले यह हरफूल नामक व्यक्ति की पत्नी थी सबूत में निर्वाचन आयोग के
हचान पत्र की फोटो प्रति पेश किये है इसके पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 ग्राम अंचापुरा,
साहूपुरा रोड बल्लभगढ में चेतराम की पत्नी बन गयी और आज प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2
चेतराम की पत्नी व पुत्र है । सबूत में फोटो प्रति पास बुक बैक ऑफ इण्डिया के खाता नम्बर
14062जारी दिनांक 1.1.2001 के दर्ज इन्द्राज से पेश किये है । प्रतिवादी संख्या 1 चेतराम की
पत्नी प्रतिवादी संख्या 2 उसका पुत्र है प्रतिवादी संख्या 1 कभी भी मृतक मक्खनलाल की
पत्नी नहीं रही , परन्तु उसने अपने आपको गलतरूप से मक्खनलाल की पत्नी बनकर
राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दर्ज करा लिया है । तनकी नं0 2 वादीगण के पक्ष में साबित होती
है ।

प्रतिवादीगण अधिवक्ता द्वारा इस तनकी बावत भी कोई साक्ष्य सबूत पेश नहीं किये । अतःवादीगण द्वारा अपने पिता मक्खनलाल के गुजर जाने के पश्चात राजस्व रिकार्ड में अपने नाम विरासतन कार्यवाही कराने हेतु अपने पिता एवं माता माया देवी व भाई इन्द्रजीत का मृत्यु प्रमाण पत्र एवं कृष्णा, लक्ष्मी व ओमवती का रजिस्ट्रर्ड हकत्याग प्रतिवादी संख्या 3 व उसके अधीनस्थ कर्मचारियान द्वारा वादीगण को बिना नोटिस जारी किये व सुनवाई का अवसर दिये प्रतिवादीगण से साज करते हुए दाखिल खारिज संख्या 4347 को दिनांक 01.06.2010 को भरकर दिनांक 7.6.2010 को ही फैसल कर राजस्व रिकार्ड में कतई गलत खिलाफ कानून मौका व कब्जा वादीगण के साथ प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 को मृतक मक्खनलाल की विधवा व पुत्र दर्ज कर दिया गया । प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का आराजी मुतदाविया से और ना ही वादीगण व मृतक मक्खनलाल के परिवार से कभी कोई सम्बन्ध किसी किस्म का नहीं रहा है प्रतिवादी नं0 1 चालाक प्रवृत्ति की औरत है पहले यह हरफूल नामक व्यक्ति की पत्नी थी । सबूत में निर्वाचन आयोग के पहचान पत्र की फोटो प्रति पेश की है । इसके पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 ग्राम अंचापुरा, साहपुरा रोड बल्लभगढ में चेतराम की पत्नी बन गयी और आज प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 चेतराम की पत्नी व पुत्र है । सबूत में फोटो प्रति पास बुक बैंक आफ इण्डिया के खाता नम्बर 14062 जारी दिनांक 1.1.2001 के दर्ज इन्द्राज से पेश किये हैं। प्रतिवादी संख्या 1 चेतराम की पत्नी प्रतिवादी संख्या 2 उसका पुत्र है प्रतिवादी संख्या 1 कभी भी मृतक मक्खनलाल की पत्नी नहीं रही, परन्तु उसने अपने गलतरूप से मक्खनलाल की पत्नी बनकर राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दर्ज करा लिया है । तनकी नं. 2 वादीगण के पक्ष साबित होती है ।

तनकी नं0 3 वादीगण प्रतिवादीगण को जरिये डिक्री हुक्म इम्तनाई दवामी से पाबन्द करा पाने के अधिकारी है ।

तनकी नं0 1 व 2 को साबित होने पर तनकी नं0 3 साबित होती है ।

तनकी नं0 4–मु0श्यामवती प्रतिवादी चेतराम की पत्नी है । मक्खनलाल की नहीं है । इस तनकी को तनकी नं0 2 में साबित कर दिया है ।

तनकी नं0 5– प्रतिवादी नं0 1 सन् 1998 में पडने वाली दीपावली के बाद सामाजिक रीति रिवाज से मक्खनलाल से शादी करली थी । और पत्नी बन गयी जिससे प्रतिवादी नं0 2 पैदा हुआ था ।

इस तनकी को प्रतिवादीगण अधिवक्ता द्वारा साबित नहीं करने के लिए कोई ठोस साक्ष्य व सबूत पेश नहीं किये है । प्रतिवादीगण के खिलाफ साबित होती है ।

अतः वादीगण अधिवक्ता द्वारा तनकी नं0 1 व 2 व 3 व 4 को साबित किये जाने पर दावा वादीगण अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर0टी0एक्ट के तहत स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है । तथा आराजी खसरा नं0 4354/0.40 हैक्टर वाके कस्बा कामां नं0 2 के 3/4 हिस्सा पर वादी संख्या 1 को व 1/4 हिस्सा पर वादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है ।

—:: आदेश ::—

अतः आदेश दिया जाता है कि दावा वादी अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर0टी0एक्ट0 को स्वीकार किया जाता है तथा प्रतिवादीगण जरिये हुक्म इम्तनाई दवामी से पाबन्द किया जाता है कि वादीगण को आराजी खसरा नं0 4354/0.40 हैक्टर वाके कस्बा कामां नं0 2 के 3/4 हिस्सा पर वादी संख्या 1 को व 1/4 हिस्सा पर वादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है । प्रतिवादीगण का नाम हो इन्द्राज को कलमजन किया जाता है । प्रकरण नम्बर से कम किया जाकर फैसल शुमार होकर बाद तकमील तामील दाखिल दफ्तर हो।

(सुनील कुमार झिंगोनिया)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, कामां
(डीग)

उपखण्ड अधिकारी
कामाँ (डीग) राज०